फर्द अहकाम

श्रीनारायण बनाम गिर्राजलाल वगै.

नाम न्यायालय :- उपखण्ड अधिकारी फागी

केस संख्या- 53/2017

क्र.स	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप में	निर्देश
	24/10/25	पत्रावली पेश हुई है पीठासीन अधिकारी अन्य राज कार्य में व्यस्त है। अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 13/11/25 को पेश हो।	
	13/11/25	पत्रावली पेश हुई पक्षकारान वकील उप०। प्रा० पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का निस्तारण निर्धारित अवधि में किया जाना होता है। उनवानी प्रकरण को मूलवाद के निस्तारण तक प्रार्थी व अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः परिणामस्वरूप प्रा० पत्र T-2 अन्तर्गत धारा 212 रा० का० अधि० को आंशिक स्वीकार किया जाकर प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण को मूलवाद के निस्तारण तक अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वाद ग्रस्त आराजी ख० नं. 2211, 1551, 1563, 1529, 1530, 1650, कुल किता 06 कुल रकबा 7 बीघा 5 बिस्वा भूमि वाके ग्राम फागी उत्तर तह० फागी जिला जयपुर में स्थित आराजी की मौका व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाए रखें। एक दूसरे के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी नहीं करे। अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द रहे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नं. से कम हो दाखिल दफ्तर है। उपखण्ड अधिकारी फागी	